

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 33-2019/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, FEBRUARY 20, 2019 (PHALGUNA 1, 1940 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 20th February, 2019

No. 05-HLA of 2019/10/3742.— The Punjab Land Preservation (Haryana Amendment) Bill, 2019, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 05- HLA of 2019

THE PUNJAB LAND PRESERVATION (HARYANA AMENDMENT) BILL, 2019

A

BILL

further to amend the Punjab Land Preservation Act, 1900, in its application to the State of Haryana.

BE it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Punjab Land Preservation (Haryana Amendment) Short title and commencement. Act, 2019.

(2) It shall be deemed to have come into force from the first day of November, 1966, except unless expressly provided.

2. In section 2 of the Punjab Land Preservation Act, 1900 (hereinafter called the principal Act),-

- (i) in sub-clause (ii) of clause (f), the word "and" existing at the end shall be omitted;
- (ii) in clause (g), for the sign "." existing at the end, the sign ";" shall be substituted;
- (iii) after clause (g), the following clause shall be added, namely:-

"(h) "State Government" means the Government of the State of Haryana .".

Amendment of section 2 of Punjab Act 2 of 1900.

#

Substitution of section 3 of Punjab Act 2 of 1900. **3.** For section 3 of the principal Act, the following section shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the date of publication of this amendment Act in the Official Gazette, namely:-

"3. Notification of areas.- (1) Whenever it appears to the State Government that it is desirable to provide for the conservation of subsoil water or the prevention of erosion in any area subject to erosion or likely to become liable to erosion with respect to land in any locality, the State Government may issue a preliminary notification to that effect, so as to invite objections from the persons interested in such lands, which shall be published in the Official Gazette and in two daily newspapers circulating in that locality, of which at least one shall be in Hindi language.

(2) Any person interested in any land which has been notified under subsection (1) may, within sixty days of the date of publication of the notification, may file objections to the said desirability for conservation of subsoil water or the prevention of erosion in such area.

(3) Every objection under sub-section (2) shall be made to the Deputy Commissioner in writing and the Deputy Commissioner shall give the objector a reasonable opportunity of hearing in person or by any person authorized by him in this behalf and shall, after hearing all such objections and after making such further enquiries, if any, as he may consider necessary, make a report in respect of the land which has been notified under sub-section (1) as a whole, or make different reports in respect of different parcels of such land to the State Government, containing his recommendations, together with record of proceedings held by him for the decision of the State Government thereupon. The State Government shall consider the recommendations of the Deputy Commissioner and its decision thereon shall be final.

(4) When the State Government, after considering the recommendations of the Deputy Commissioner, made under sub-section (3), is satisfied that it is desirable to provide for the conservation of subsoil water or the prevention of erosion in any area, the State Government may, by notification, order accordingly. Every such notification shall be published in the Official Gazette and in two daily newspapers circulating in that locality of which at least one shall be in Hindi language.

(5) Every notification issued under sub-section (4) shall be valid for the period stated therein which shall not exceed thirty years from the date of the publication of such notification:

Provided that wherever the period of validity is not stated in the notification, such notification shall be deemed to be valid for a period of thirty years from the date of the publication of such notification.".

After section 3 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:-

"3A. Act not to apply to certain lands.- The provisions of this Act shall not apply to-

- (a) the lands included in the final development plans, any other town improvement plans or schemes published under the provisions of-
 - (i) the Punjab Town Improvement Trust Act, 1922 (Punjab Act 4 of 1922);
 - (ii) the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963);
 - (iii) the Faridabad Complex (Regulation and Development) Act, 1971 (42 of 1971);
 - (iv) the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 (8 of 1975);
 - (v) the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994);
 - (vi) the Gurugram Metropolitan Development Authority Act, 2017 (34 of 2017);
 - (vii) the Faridabad Metropolitan Development Authority Act, 2018 (9 of 2019);

Insertion of 4. section 3A in Punjab Act 2 of 1900.

- (viii) any other Act, Statute or Order that the State Government may notify from time to time, where date of publication of such plan or scheme is:-
 - (I) prior to the date of the publication of the Punjab Land Preservation (Haryana Amendment) Act, 2019, in the Official Gazette; or
 - (II) later than the date of the publication of Punjab Land Preservation (Haryana Amendment) Act, 2019 in the Official Gazette but prior to the date of publication of applicable and subsisting special order, if any, issued under section 4 or section 5 of this Act;
- (b) the lands forming part of any public infrastructure, including rail, roads, canals, public institutions, government or public establishments created or developed up to a date prior to the date of the publication of Punjab Land Preservation (Haryana Amendment) Act, 2019 in the Official Gazette or required for development of such public infrastructure in future as the State Government may notify from time to time; and
- (c) land which have been under bona-fide agriculture use save and except those lands whose owners have consented for inclusion of their lands under the purview of this Act.
 - Note.- Land recorded in the relevant revenue records as being used for the time being for agriculture uses shall be deemed to be land under bona-fide agriculture use for the purposes of this clause.".
- 5. In section 4 of the principal Act,-
 - (i) the words 'generally or' and the words 'general or' shall be omitted;
 - (ii) in clause (g), for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted; and
 - (iii) the following proviso shall be inserted at the end, namely:-

"Provided that the period of validity of any order issued under this section shall not exceed the period of validity of the corresponding notification published under section 3 of this Act.".

6. After section 4 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:-

"4A. Power to regulate felling of trees.- (1) In respect of areas notified under section 3, the State Government may, in whole or any part of such areas, by general order temporarily regulate, restrict or prohibit the cutting of trees and timber.

(2) The period of validity of any order issued under sub-section (1) shall not exceed the period of validity of the corresponding notification published under section 3 of this Act.

(3) All subsisting general orders issued under section 4 prior to the date of publication of Punjab Land Preservation (Haryana Amendment) Act, 2019 in the Official Gazette shall be deemed to have been issued under sub-section (1) of this section.

(4) All orders issued under this section shall be solely for the purpose of temporarily regulating, restricting or prohibiting felling of trees and not for regulating any other activity or imposing restrictions or change in the permissible land use for such area.

Note.- For the removal of any doubt, it is declared that all the subsisting general orders issued under section 4 or notifications made there under prior to the date of publication of the Punjab Land Preservation (Haryana Amendment) Act, 2019 in the Official Gazette shall also be subject to the provisions of sub-section (4), solely for the purpose of temporarily regulating, restricting or prohibiting felling of trees and not for regulating any other activity or imposing restrictions or change in the permissible land use for such area."

Amendment of section 4 of Punjab Act 2 of 1900.

Insertion of section 4A in Punjab Act 2 of 1900.

Amendment of section 5 of Punjab Act 2 of 1900.	7.	In section 5 of the principal Act,-		
		(i) for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted;		
		(ii)	the fol	llowing proviso shall be added at the end, namely:-
			not ex	Provided that the period of validity of any order issued under this section shall acceed the period of validity of the corresponding notification published under n 3 of this Act.".
Insertion of section 6A in Punjab Act 2 of 1900.	8.	After	section	6 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:-
		"6A. Power to amend or rescind The State Government may, if it finds necessary so to do and after recording reasons thereof in writing, amend or rescind, any notification or order made under the provisions of this Act.".		
Insertion of section 18A in Punjab Act 2 of 1900.	9.	After section 18 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:-		
		"18A. Power to exempt If the State Government is of the opinion that the operation of any of the provisions of this Act or any part of notification or order issued under this Act, as the case may be, causes or has caused undue hardship or circumstances exist which render it expedient so to do, it may, subject to such terms and conditions, as it may impose, by an order, exempt any class of persons or areas or land from all or any provisions of this Act.".		
Insertion of section 23 in Punjab Act 2 of 1900.	10.	After section 22 of the principal Act, the following section shall be added, namely:-		
		"23. Savings (1) The orders and notifications issued under this Act shall be deemed to have been amended so as to exclude the categories of land covered under section 3A with effect from the date of issuance or publication of such orders or notifications.		
		(2)	For th	e removal of doubts, it is declared that-
			(a)	the lands, excluding those covered under section 3A, shall continue to remain included in the orders or notifications issued under section 3, 4 or 5 or deemed to have been issued under section 4A for the periods stated therein;
			(b)	wherever the period of validity is not stated, such order or notification shall be deemed to be valid for a period of thirty years from the date of its commencement; and
			(c)	after the expiry of the period stated in such orders or notifications, the regulations, restrictions or prohibitions imposed therein shall cease to exist.

#

#

#

#

#

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Punjab Land Preservation Act, 1900 (Punjab Act II of 1900), hereinafter referred to as 'PLPA', was enacted by the then Government of Punjab in 1900. The Act provides for the conservation of subsoil water and/or prevention of erosion in areas found to be subject to erosion or likely to become liable to erosion.

The intent behind the PLPA and its area of jurisdiction has evolved over a period of time. The first major amendment of immediate relevance was carried out in 1926 (Punjab Act VII of 1926) whereby it was clarified that the provisions of the Act never intended to extinguish the ownership rights of the people. Through the said amendment, from the existing expression 'temporarily or permanently' as appearing in the section 4 and section 5 of the PLPA, the expression 'or permanently', was omitted. This amendment is in conformity with the constitutional right granted under Article 300-A of the Constitution of India.

The subsisting orders and notifications issued under section 4 and/or section 5 of PLPA extend over an area of about 10,94,543 hectares or about 10,945 sq. km. accounting roughly for about 25% of the total geographical area of the State. These orders and notifications extend to the geographical area, wholly or partly, of 14 out of 22 District in the State. Almost the entire districts of Gurugram, Rewari and Mahendergarh are covered under these orders and notifications. A vast proportion of these lands include privately owned lands and lands that have traditionally as well as legally been under agriculture and other non-forestry uses, including lands forming part of public infrastructure such as rail, roads, canals, public institutions and government establishments. Most of the area were covered under the orders and notifications under PLPA with the primary objective of regulating tree felling (State of Haryana not having a separate 'Tree Act' for regulating felling of Trees). Such orders and notification were never issued either for effecting the changes in the existing land uses or to regulate the permissible land uses. The lands covered under these orders and notifications were never directly or indirectly intended to be brought under the purview of the rigors or forest or related laws. Further, PLPA, as amended in 1926, provides only for temporary and not permanent restrictions, regulations and prohibition. However, over a period of time a number of changes have come to force with various interpretations of the provisions of the PLPA from time to time, in particular with respect to considering the areas notified under PLPA as "forest" and making expiry of notifications issued under section 4 and or 5 inconsequential thereby rendering extinguishment of the ownership right almost permanently. These have also led to large tracts under agriculture, public, infrastructure, residential, institutional, commercial and other uses becoming liable to be considered as unauthorized activities and unlawful uses even where these were explicitly permitted and came up strictly in conformity and in accordance with the then existing applicable law governing such land use and activities undertaken thereupon. Lakhs of dwelling units, commercial buildings, industrial units, public buildings and massive public infrastructure and agriculture activities over about one fourth of the geographical area of the State are affected. Sale and purchase of such lands and immoveable properties have become liable to be considered a illegal. Such unintended consequences adversely impacting livelihood of millions of citizens and need to be allayed and remedied.

The felling of trees in the state is being regulated by issuance of general orders under section 4 of the PLPA. It is desirable that for effective regulation of tree felling, a specific and separate provision for the same is introduced in the act while putting to rest any ambiguity or doubt in this regard.

There is no provision in PLPA to provide reasonable opportunity of being heard before imposing restrictions, prohibitions and regulations with respect to an area being proposed to be brought under such restrictions, prohibitions and regulations. In order to adhere to the principles of natural justice, it is required to be provided.

PLPA does not have any provision to rectify, amend or de-notify the orders and notifications issued under the act even where the same have been found to have inherent defects, mistakes or where certain lands have been inadvertently included or found to have been issued in violation of the prescribed procedure. In addition, PLPA does not have any provision for re-notifying and or extending the period of the orders and notifications. The PLPA also does not have provisions for removal of difficulties or responding to exigencies warranting exemptions to be afforded in exceptional cases. The enabling provisions in these regard are required to be introduced and incorporated.

In the above background and to address the concerns effectively, it is warranted that the PLPA is appropriately amended and owing to the exigencies explained, certain provisions of proposed amendments need to be made applicable from retrospective effect. Therefore, now it is required to amend section 2, section 3, section 4 and section 5 of the PLPA and, further, also required to insert section 3A (after section 3), section 4A (after section 4), section 6A (after section 6), section 18A (after section 18) and section 23 (after section 22) of the PLPA.

Hence, this Bill.

RAO NARBIR SINGH, Forest & Wild Life Minister, Haryana.

Chandigarh: The 20th February, 2019. R. K. NANDAL, Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2019 का विधेयक संख्या 05 एच०एल०ए०

पंजाब भू–परिरक्षण (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2019

पंजाब भू—परिरक्षण अधिनियम, 1900,

हरियाणा राज्यार्थ, को आगे

संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–-

1. (1) यह अधिनियम पंजाब भू—परिरक्षण (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2019, कहा जा ^{संक्षिप्त नाम तथा} सकता है।

(2) जब तक अभिव्यक्त रूप से उपबन्धित न किया जाए के सिवाय, यह नवम्बर, 1966 के प्रथम दिन से लागू हुआ समझा जाएगा।

 पंजाब भू–परिरक्षण अधिनियम, 1900 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 में,–

- (i) खण्ड (च) के उप—खण्ड (ii) में, अन्त में विद्यमान ''तथा'' शब्द का लोप कर दिया जाएगा;
- (ii) खण्ड (छ) में, अन्त में विद्यमान ''।'' चिह्न के स्थान पर, '';'' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा ; तथा
- (iii) खण्ड (छ) के बाद, निम्नलिखित खण्ड जोड़ दिया जाएगा, अर्थात्:--
 - ''(ज) ''राज्य सरकार'' से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की सरकार।''।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी तथा राजपत्र में इस संशोधन अधिनियम के प्रकाशन की तिथि से प्रतिस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात्:-

"3. क्षेत्रों की अधिसूचना.— (1) जब कभी राज्य सरकार को प्रतीत होता है कि किसी परिक्षेत्र में भूमि के सम्बन्ध में भू—क्षरण है या भू—क्षरण होना संभाव्य है, के अध्यधीन किसी क्षेत्र में भूमिगत जल के संरक्षण या भू—क्षरण के निवारण के लिए उपबन्ध वांछनीय है, तो राज्य सरकार, उस प्रभाव के लिए प्रारम्भिक अधिसूचना जारी कर सकती है, जो राजपत्र में तथा उस परिक्षेत्र में परिचालित दो दैनिक समाचार पत्रों में, जिनमें से कम से कम एक हिन्दी भाषा में होगा, प्रकाशित की जाएगी, ताकि ऐसी भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों से आक्षेप आमन्त्रित किए जा सकें।

(2) किसी भूमि, जो उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित की गई है में हितबद्ध कोई व्यक्ति, अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ दिन के भीतर, ऐसे क्षेत्र में भूमिगत जल के संरक्षण या भू–क्षरण के निवारण के लिए उक्त वांछनीयता हेतु आक्षेप दायर कर सकता है।

(3) उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक आक्षेप लिखित में उपायुक्त को किया जाएगा तथा उपायुक्त आक्षेपक को व्यक्तिगत रूप में या इस निमित्त उस द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा तथा सभी ऐसे आक्षेपों को सुनने के बाद तथा ऐसी और जांच, यदि कोई हो, जो वह आवश्यक समझे, करने के बाद, राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें अन्तर्विष्ट करते हुए उस पर राज्य सरकार के निर्णय के लिए उस द्वारा की गई कार्यवाहियों के अभिलेख सहित भूमि जो सम्पूर्ण रूप से उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित की गई हो, के संबंध में रिपोर्ट करेगा या ऐसी भूमि के विभिन्न भू–खण्डों के संबंध में विभिन्न रिपोर्ट करेगा। राज्य सरकार, उपायुक्त की सिफारिशों पर विचार करेगी तथा उस पर इसका निर्णय अन्तिम होगा।

(4) जब राज्य सरकार, उपधारा (3) के अधीन की गई उपायुक्त की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, संतुष्ट हो जाती है कि किसी क्षेत्र में भूमिगत जल के संरक्षण या भू–क्षरण के निवारण के लिए उपबन्ध करना वांछनीय है, तो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, तदनुसार आदेश कर सकती है। प्रत्येक ऐसी अधिसूचना राजपत्र में तथा उस परिक्षेत्र में परिचालित दो दैनिक समाचार–पत्रों जिनमें से कम से कम एक हिन्दी भाषा में होगा, प्रकाशित की जाएगी।

(5) उपधारा (4) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना उसमें कथित अवधि के लिए विधिमान्य होगी, जो ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीस वर्ष से अधिक नहीं होगी :

परन्तु जहां कहीं विधिमान्यता अवधि अधिसूचना में कथित नहीं है, तो ऐसी अधिसूचना, ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीस वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य समझी जाएगी। 1900 का पंजाब अधिनियम 2 की धारा 3 का प्रतिस्थापन।

1900 का पंजाब

अधिनियम 2 की

धारा २ का संशोधन।

779

1900 का पंजाब अधिनियम 2 में धारा 3क का रखा जाना। 4.

मूल अधिनियम की धारा 3 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:–

''3क. अधिनियम का कतिपय भूमियों पर लागू न होना.— इस अधिनियम के उपबन्ध निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे—

- (क) निम्नलिखित के उपबन्धों के अधीन प्रकाशित अन्तिम विकास योजनाओं, किसी अन्य नगर सुधार योजनाओं या स्कीमों में शामिल भूमियों–
 - (i) पंजाब नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1922 (1922 का पंजाब अधिनियम 4);
 - (ii) पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41);
 - (iii) फरीदाबाद संव्यूह (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1971 (1971 का 42);
 - (iv) हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का 8);
 - (v) हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16);
 - (vi) गुरूग्राम महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2017 (2017 का 34);
 - (vii) फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2018 (2019 का 9);
 - (viii) कोई अन्य अधिनियम, परिनियम या आदेश, जो राज्य सरकार, समय–समय पर, अधिसूचित करे, जहां ऐसी योजना या स्कीम के प्रकाशन की तिथि :–
 - (I) राजपत्र में पंजाब भू–परिरक्षण (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रकाशन की तिथि से पूर्व की है; या
 - (II) राजपत्र में पंजाब भू–परिरक्षण (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रकाशन की तिथि के पश्चात्, किन्तु इस अधिनियम की धारा 4 तथा 5 के अधीन जारी लागू तथा विद्यमान विशेष आदेश के प्रकाशन की तिथि से पूर्व की है;
- (ख) राजपत्र में पंजाब भू–परिरक्षण (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रकाशन की तिथि से पूर्व की तिथि तक सृजित या विकसित रेल, सड़कों, नहरों, सार्वजनिक संस्थाओं, सरकारी या सार्वजनिक स्थापनाओं सहित किसी सार्वजनिक अवसंरचना या भविष्य में ऐसी सार्वजनिक अवसंरचना के विकास के लिए अपेक्षित हो, जो राज्य सरकार, समय–समय पर, अधिसूचित करे, का भागरूप बनने वाली भूमियां ; तथा
- (ग) उन भूमियों, जिनके स्वामियों ने इस अधिनियम के अधिकार क्षेत्र के अधीन उनकी भूमियों को शामिल करने के लिए सहमति दे दी है, के सिवाय तथा को छोड़कर भूमि जो वास्तविक रूप में कृषि उपयोग में हैं।
 - टिप्पण.— कृषि उपयोगों के लिए तत्समय् उपयोग की जा रही सुसंगत राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित भूमि इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए वास्तविक रूप में कृषि उपयोग के अधीन भूमि के रूप में समझी जाएगी।
- मूल अधिनियम की धारा 4 में,—
 - (i) 'साधारण या' शब्दों का लोप किया जाएगा ;
 - (ii) खण्ड (छ) में, अन्त में विद्यमान '' ।'' चिह्न के स्थान पर, '':'' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा
 - (iii) अन्त में निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

''परन्तु इस धारा के अधीन जारी किसी आदेश की विधिमान्यता अवधि इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन प्रकाशित अनुरूप अधिसूचना की विधिमान्यता अवधि से अधिक नहीं होगी।''।

मूल अधिनियम की धारा 4 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:--

"4क. वृक्षों की कटाई को विनियमित करने की शक्ति.— (1) धारा 3 के अधीन अधिसूचित क्षेत्रों के सम्बन्ध में, राज्य सरकार, ऐसे क्षेत्रों को पूर्णतः या किसी भाग में साधारण आदेश द्वारा वृक्षों तथा इमारती लकड़ी के कटाने को अस्थायी रूप से विनियमित, निर्बन्धित या प्रतिषेध कर सकती है।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी किसी आदेश की विधिमान्यता अवधि इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन प्रकाशित अनुरूप अधिसूचना की विधिमान्यता अवधि से अधिक नहीं होगी।

1900 का पंजाब अधिनियम 2 की धारा 4 का संशोधन। 5.

1900 का पंजाब **6.** अधिनियम 2 में धारा 4क का रखा जाना। (3) राजपत्र में पंजाब भू–परिरक्षण (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रकाशन की तिथि से पूर्व धारा 4 के अधीन जारी सभी विद्यमान साधारण आदेश इस धारा की उप–धारा(1) के अधीन जारी किए गए समझे जाएंगे।

(4) इस धारा के अधीन जारी सभी आदेश, वृक्षों के काटने को अस्थायी रूप से विनियमित करने या निर्बन्धित करने या प्रतिषेध करने के एकमात्र प्रयोजन के लिए होंगे तथा ऐसे क्षेत्र के लिए अनुज्ञेय भूमि उपयोग में किसी अन्य क्रियाकलाप को विनियमित करने या निर्बन्धन अधिरोपित करने या परिवर्तन करने के लिए नहीं होंगे।

- टिप्पण.— किसी संदेहों को दूर करने के लिए, यह घोषित किया गया है कि पंजाब भू—परिरक्षण (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रकाशन की तिथि से पूर्व धारा 4 के अधीन जारी सभी विद्यमान साधारण आदेश या उसके अधीन की गई अधिसूचनाएं उप—धारा (4) के उपबन्धों के अधीन वृक्षों की कटाई का अस्थायी रूप से विनियमन, निर्बन्धन या प्रतिषेध के एकमात्र प्रयोजन के लिए होगी तथा ऐसे क्षेत्र के लिए अनुज्ञेय भूमि उपयोग में किसी अन्य क्रियाकलाप को विनियमित करने के लिए या निर्बन्धन अधिरोपित करने या परिवर्तन के लिए नहीं होगा।"।
- 7. मूल अधिनियम की धारा 5 में,-
 - (i) अन्त में विद्यमान "।" चिहन के स्थान पर, ":" चिहन प्रतिस्थापित किया जाएगा ;
 - (ii) अन्त में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जाएगा, अर्थात्:--

''परन्तु इस धारा के अधीन जारी किसी आदेश की विधिमान्यता अवधि इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन प्रकाशित अनुरूप अधिसूचना की विधिमान्यता अवधि से अधिक नहीं होगी।''।

8. मूल अधिनियम की धारा 6 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:--

"6क. संशोधन या विखंडित करने की शक्ति.— राज्य सरकार, यदि ऐसा करना आवश्यक समझती है तथा उसके कारण अभिलिखित करने के बाद, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन की गई किसी अधिसूचना या आदेश को संशोधित या विखंडित कर सकती है।''।

9. मूल अधिनियम की धारा 18 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:--

''18क. छूट देने की शक्ति.— यदि राज्य सरकार की राय है कि इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचना या आदेश, जैसी भी स्थिति हो, के किसी भाग के किन्हीं उपबन्धों के परिचालन में अनुचित कठिनाई आती है या अनुचित कठिनाई उत्पन्न करते हैं या ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण ऐसा करना समीचीन है, तो आदेश द्वारा, ऐसे निबन्धन तथा शर्तें जो अधिरोपित की जाएं, के अध्यधीन इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबन्धों से व्यक्तियों या क्षेत्रों या भूमि के किसी वर्ग को छूट दे सकती है।''।

10. मूल अधिनियम की धारा 22 के बाद, निम्नलिखित धारा जोड़ दी जाएगी, अर्थात्:--

''23. व्यावृत्ति.– (1) इस अधिनियम के अधीन जारी आदेश तथा अधिसूचनाएं संशोधित की गई समझी जाएंगी ताकि ऐसे आदेशों या अधिसूचनाओं के जारी या प्रकाशन की तिथि से धारा 3क के अधीन आने वाली भूमियों के प्रवर्गों से निकाला जा सके।

- (2) संदेहों हो दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि-
 - (क) भूमियां, जो धारा 3क के अधीन आती हैं, को छोड़कर, धारा 3, 4 या 5 के अधीन जारी आदेशों या अधिसूचनाओं में लगातार शामिल रहेंगी या उसमें कथित अवधियों के लिए धारा 4क के अधीन जारी की गई समझी जाएंगी;
 - (ख) जहां कहीं विधिमान्यता अवधि कथित नहीं है, ऐसा आदेश या अधिसूचना इसके प्रारम्भ की तिथि से तीस वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य समझी जाएगी;
 - (ग) ऐसे आदेशों या अधिसूचनाओं में कथित अवधि की समाप्ति के बाद, उसमें विनियमन, निर्बन्धन या अधिरोपित प्रतिषेध समाप्त हो जाएंगे।

1900 का पंजाब अधिनियम 2 की धारा 5 का संशोधन।

1900 का पंजाब अधिनियम 2 में धारा 6क का रखा जाना।

1900 का पंजाब अधिनियम 2 में धारा 18क का रखा जाना।

1900 का पंजाब अधिनियम 2 में धारा 23 का रखा जाना।

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

पंजाब भू—परिरक्षण अधिनियम, 1900 (1900 का पंजाब अधिनियम 2),जो इसके बाद "पीएलपीए" के रूप में संदर्भित किया जाएगा, को पंजाब की तत्कालीन सरकार द्वारा 1900 में अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम भूमिगत जल के संरक्षण और ⁄ या कटाव ग्रस्त क्षेत्रों या कटाव संभावी क्षेत्रों को संरक्षण प्रदान करता है।

पीएलपीए के पीछे की मंशा और इसका अधिकार क्षेत्र समय के साथ विकसित हुआ है। तत्काल प्रासंगिकता में बड़ा संशोधन सबसे पहले 1926 में किया गया था (1926 का पंजाब अधिनियम 7), जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि अधिनियम के प्रावधानों का उद्देश्य लोगों को स्वामित्व के अधिकारों से वंचित करना नहीं था। उक्त संशोधन के द्वारा तत्कालीन अभिव्यंजना 'अस्थायी या स्थायी रूप से, जो पीएलपीए की धारा 4 और 5 में वर्णित था, से अभिव्यंजना 'या स्थायी रूप से' को निरस्त कर दिया गया था। यह संशोधन भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 ए के तहत प्रदत संवैधानिक अधिकार के अनुरूप है।

पीएलपीए की धारा 4 और / या धारा 5 के अधीन जारी आदेश और अधिसूचनाएं लगभग 10,94,543 हेक्टेयर या लगभग 10,945 वर्ग किमी क्षेत्र, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का अनुमानतः 25 प्रतिशत है, पर लागू होते हैं। ये आदेश और अधिसूचनाएं राज्य के 22 जिलों में से 14 जिलों के भौगोलिक क्षेत्र पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से लागू होते हैं। ये आदेश और अधिसचनाएं गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिलों के लगभग पूर्ण क्षेत्रों पर लागू होते हैं। इन क्षेत्रों का एक बहुत बड़ा भाग निजी स्वामित्व वाली भूमि, और वह भूमि जो परंपरागत रूप से और कानूनी रूप से कृषि और गैर–वानिकी उपयोग के अधीन है, के तहत आता है, जिनमें सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के अधीन आने वाली भूमि जैसे कि रेल, सड़क, नहर, सार्वजनिक संस्थाएं और सरकारी प्रतिष्ठान के अधीन भूमि भी शामिल हैं। पेडों की कटाई को विनियमित करने के प्राथमिक उद्देश्य से (हरियाणा राज्य में पेड़ों की कटाई को विनियमित करने के लिए एक अलग 'वृक्ष अधिनियम' नहीं था) पीएलपीए के इन आदेशों और अधिसूचनाओं के तहत अधिकांश क्षेत्र को लाया गया। इस तरह के आदेश और अधिसूचनाएं विद्यमान भूमि उपयोग में परिवर्तन को प्रभावित करने या जायज भूमि उपयोग को विनियमित करने के उददेश्य से कभी भी जारी नहीं किए गए थे। इन आदेशों और अधिसूचनाओं का उददे य कभी भी इसके अंतर्गत आने वाली भूमि को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वन या संबंधित कानूनों के दायरे में लाना नहीं था। इसके अलावा, 1926 में संशोधित पीएलपीए में केवल अस्थायी प्रतिबन्ध के प्रावधान किए गए हैं, न कि स्थायी प्रतिबंध, विनियम और निषेध के। समय के साथ–साथ पीएलपीए के प्रावधानों की विभिन्न अभिव्यंजनाओं में कई बदलाव हुए हैं, विशेष रूप से पीएलपीए के तहत अधिसूचित क्षेत्रों को "वन" मानने और धारा 4 और / या 5 के तहत जारी अधिसूचनाओं के समयावधि को निरस्त करने के संबंध में, जिसके फलस्वरूप स्थायी रूप से स्वामित्व का शमन हुआ है। इससे उपयोग में आ रही कृषि, सार्वजनिक, बुनियादी ढाँचे, आवासीय, संस्थागत, वाणिज्यिक और दूसरे उपयोगों के लिए जमीन का एक बडा भाग अनधिकृत एवं गैरकानूनी गतिविधियों की परिभाषा में आ गया है जबकि पूर्व में ऐसा स्पष्ट रूप से अनुमत था कि ऐसी भूमि के उपयोग और उस पर चल रही गतिविधियों का संचालन शासित करने वाले कानूनों के अनूरूप था। इससे राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के लगभग एक चौथाई से अधिक भाग पर लाखों आवासीय इकाइयाँ, व्यावसायिक इमारतें, औद्योगिक इकाइयाँ, सार्वजनिक भवन और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे और कृषि गतिविधियाँ प्रभावित होती हैं। ऐसी भूमि और अचल संपत्तियों की बिक्री और खरीद भी अवैध मानी जा सकती है। इस तरह के अनपेक्षित परिणाम लाखों नागरिकों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं और उन्हें दूर करने की तथा उपचार करने की आवश्यकता है।

राज्य में पेड़ों की कटाई को पीएलपीए की धारा 4 के तहत सामान्य आदेश जारी करके नियंत्रित किया जाता है। पेड़ की कटाई के प्रभावी विनियमन के लिए यह अपेक्षित है कि अधिनियम में इसके लिए एक अलग से प्रावधान किया जाए ताकि इस दिशा में किसी भी तरह की अस्पष्टता या संदेह न रहे।

पीएलपीए में इस तरह के प्रतिबंधों, निषेधों और नियमों के तहत लाए जाने वाले प्रस्तावित क्षेत्र के संबंध में प्रतिबंध, निषेध और नियम लागू करने से पहले सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के लिए ऐसा प्रावधान करना अपेक्षित है।

पीएलपीए में अधिनियम के तहत जारी आदेशों और अधिसूचनाओं में सुधार, संशोधन या अनाधिसूचित करने का कोई प्रावधान नहीं है, जो अंतर्निहित दोष व अशुद्धियां या कुछ भूमियां, जो असावधानी से या निर्धारित प्रक्रिया की अवहेलना करते हुए सम्मिलित पाई गई हैं, का समाधान कर सकें। इसके अलावा, पीएलपीए में पुनः अधिसूचना जारी करने और आदेशों और नियमों की अवधि बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है। पीएलपीए में कठिनाइयों को दूर करने या असाधारण परिस्थितियों में छूट देने का प्रावधान भी नहीं हैं। इन संबंधों में सक्षम प्रावधान करने और शामिल करने की आवश्यकता है।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में चिंताओं को प्रभावी ढंग से दूर करने के लिए उपरोक्त वर्णित दिक्कतों के दृष्टिगत यह न्यायसंगत है कि पीएलपीए में उचित संशोधन किया जाए। प्रस्तावित संशोधनों के कुछ प्रावधानों को पूर्वगामी प्रभाव से लागू करने की आवश्यकता है। इसलिए, अब पीएलपीए की धारा 2, धारा 3, धारा 4 और 5 में संशोधन करना आवश्यक है और आगे, पीएलपीए की धारा 3ए (धारा 3 के बाद),धारा 4ए (धारा 4 के बाद),धारा 6ए (धारा 6 के बाद), धारा 18 ए (धारा 18 के बाद), तथा धारा 23 (धारा 22 के बाद), को सम्मिलित करने की भी आवश्यकता है।

.....

एतदर्थ बिल प्रस्तुत है।

राव नरबीर सिंह, वन एवं वन्य प्राणी मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ः दिनांक 20 फरवरी, 2019. आर० के० नांदल, सचिव।

56864—H.V.S.—H.G.P.,Chd.